## दिल्ली विधान सभा तमाचार भाग—2 विधान सभा तथा अच्य मामलों लें संबंधित सामान्य जानकारी १ सोमवार, 8 मई, 1995 / बैशाख 18, 1917 १्शक१

न्डया. 184

## सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, र्च दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक 5.5.1995 की निम्नलिखित ससूचना अर्ड, 1995 को प्राप्त हुई थी :-

" मुझे तसम्मान आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वन्नी पूरन चन्द योगी, सत प्रकाश राणा एवं मोती लाल सोढ़ी को उनके अन्य सहयोगियों सहित आज 5.5.95 को अपराह्न 12.12. बजे तीन मूर्ति मार्ग र्वेनिकट तीन मूर्ति भवन्र नई दिल्ली से पुलिस के कानूनी मिर्देशों की अवेहलना करने के कारण दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द कर दिया गया ।

माननीय तदस्यों को उती स्थान ते उती दिन अर्थात 5. 5. 95 को अपराहन 12. 40 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> पी. रन्. गुप्ता सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART - II

(General information relating to Assembly & other matters)
Monday, May 08, 1995/Vaisakha 18, 1917 (Saka)

No. 134

## DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 5.5.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 8th May, 1995 :-

"I have the honour to inform you that S/Sh. Puran Chand Yogi, Sat Parkash Rana & Moti Lal Sodhi, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Teen Murti Marg (near Teen Murti House) New Delhi at 1212 hours today i.e. 5.5.95.

They were released at 1240 hours from the same place, the same day i.e. 5.5.95.1

P.N. GUPTA SECRETARY